To;

The Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through: - District Judge Allahabad.

Sub:- Application for granting advance increments.

Respected Sir,

Most humbly I want to state that undersigned is posted as Additional District Judge, Court No. 2 Allahabad. I would like to draw your kind attention towards letter No. 1363/Two-4-2009-45(12)/91 T.C. dated May 13, 2009 by Secretary Home Government of U.P. Whereby three advanced increments are allowed to the judicial officer who posses post graduate qualification in law as this is supposed to be difficult course and more suitable for the work.

It is most respectfully submitted that undersigned posses LL.M. Degree which has been mentioned at the time of filling the form of UPHJS exam 2016. It is, therefore, requested that this advance increments should be given to me. I am enclosing LL.M. Degree and marksheet and said Government G.O. with this application.

Thanking you.

Dated: 21.08.2021

Vikov Sivertava Yours Faithfully

Office of the District Judge, Allahabad

Letter No. 2462 Dated 25 8 21

Forwarded.

District Judge, Allahabad

(Vikas Srivastava) Addl. District Judge, Court No. 2, Allahabad

काशी हिन्द् विश्वविद्यालयः मास्टर श्रॉफ़ लॉज़

भी विकास कीवास्तव

इति नामा/नाम्नी

श्रस्य विश्वविद्यालयस्य २००३ं ईसवीयवत्सरे परीक्षायां व्हिलीच श्रेण्यां समुत्तीर्य

मास्टर ऑफ़ लॉज पद्धीं पाष्नोदिति प्रमाणयति।



काशी हिन्द् विश्वविद्यास्मय मास्टर श्रॉफ लॉज

पमाणित किया जाता है कि

की विकास कीवास्तव

ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सन् २००३ की परीक्षा जिल्लीय उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ़ लॉज उपाधि पाप्त की।



BANARAS HINDU UNIVERSITY Master of Laws

This is to certify that

Shri Wikas Shrivastav obtained the degree of Master of Laws in this University in the Examination of 2003, and that he/she was placed in the Second Class.

बारावासी-VARANASI

Remg-DATE Movember 29, 2003

Wikas Grivantava

प्रेपक.

कुंदर फलेह बहादुर, प्रमुख सचिव, उत्पर प्रदेश शासन।

सेवा ने

महानिबंधक, वार्व उष्य स्थायाराय, उताहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनकः दिनाकः 13 मई, 2009

विषय - प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तृतियों के कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में 30 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के व्यन्तित अभ्यर्थियों को तीन अप्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के सव्य में।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निपातिकित संस्तुति की गुग्री है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मां उच्चतम न्यायालय के आदेश विनाक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को विनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उठ प्रठ राज्य के न्यायिक सेवा में ययनित अन्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रवान किये जाने की थी राज्यपाल महोदय सहएं न्यीकृति प्रवान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश विस्त विभाग के अ0शा0स0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

7

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91रीसी, त प्रक्रिंकः प्रतिलिपि उपरिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सविव/सिवव।

- म्याय स्वीति विधान संभा ∕ियान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, ल**० प्र0**, तखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निर्देशक, पेंशन निर्देशालय, इन्द्रिंग भ्यत, उ० प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक विलीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, दन्दिरा नगर, लखनऊ
- 7- मूचना निदेशक, उ० प्र0, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निवेशक, कीषांगार एवं वेशन, उ० प्र०.
- 9- भारत कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- जिल (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, विता (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- अलर प्रवेश संधिदालय के समस्य अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषायह निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कवासी रोड, इलाझबाद।
- 13- इत्याचे स्वाप्ताप्त रहता नेक (तेतक एनी) गणोक स0 प्र0 सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकडानी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं दिनीय, उठ प्रण इलाहाबाद --
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष मचिव एवं अपर विधि परामशी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक),
 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।

18- पार्ड फाइल।

आवा स, प्रियंश कुमार सिंह राठौर) विशेष सविव।

A RESERVE

Serial No: 27

BANARAS HINDU UNIVERSITY

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS

MARKSHEET

LL.M. (FINAL) EXAMINATION-2003

Name of the Candidate : Shri Vikas Shrivastav

Exam. Roll No.

: 01L01025

Enrolment No.: 261531

Father's Name

: Shri Shyamsundar Shrivastav

Mother's Name

: Smt. Usha Devi

PAPERS	Marks Obtained	Full Marks
Optional Group		
Group V: International Law		
the same of the sa		
Paper I : Law relating to Treaties/Diplomatic and Consular Relation/Law relating to Outer Space		
relating to Outer Space	58	100
Paper II : International Courte ne	36	100
Seas/International		
Arbitration	50	100
Paper III : India and International		100
aw/international Law on.		4
Viva-Voce		100
Dissertation		100
	127	150
Total Marks in Final Prantitation	Control of the last	-
Marks Obtained at I-Year Examination	394	550
	320	550
Grand Total	674	1,100

PASSED IN SECOND CLASS

Date of Declaration of Result : 29.07.2003

Date of issue of Marksheet consequent upon clearance of dues : 1.8.2003

Prepared by : This.

Checked by : 1... Mc.C

VV Menon Controller of Examinations

Wellen Son Wantown